न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 162 / 2025	2025 / 416	17.01.2025	30.04.2026

1– अमित मेहरा पुत्र ललित मेहरा जाति निवासी 35, दुर्गा विहार, सैक्टर 3, पुलिस थाना मालवीय नगर जयपुर (राजस्थान) एव केयर ऑफ चाउंस 34, दुर्गा विहार, मालवीय नगर जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1– ललित मेहरा पुत्र स्व0 श्रीचन्द मेहरा, निवासी 35, दुर्गा विहार, सैक्टर 3, पुलिस थाना मालवीय नगर जयपुर (राजस्थान) एव केयर ऑफ चाउंस 34, दुर्गा विहार, मालवीय नगर जयपुर।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी प्रकिया संहिता न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुण्डावर में विचाराधीन उनवानी ललित मेहरा बनाम अमित मेहरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0 फौ0 (धारा 164 बी0 एन0 एस0 एस0) न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुण्डावर में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा0 फौ0 (धारा 164 बी.एन.एस.) बअनुवान ललित मेहरा बनाम अमित मेहरा वगै0 अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया है। अप्रार्थी स्वयं आई.ए.एस के पद से रिटार्यड रहा है, जो अपने पद का बेजा लाभ लेते हुऐ तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजबाज हो चुके, अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है, कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने अधिकारियो से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी अमित मेहरा पुत्र ललित द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, विधि अनुसार विचाराधीन उनवानी ललित मेहरा बनाम अमित मेहरा वगै0 अन्तर्गत धारा 145 जा0 फौ0 (धारा 164 बी.एन.एस.) का विधिक प्रावधानुसार निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)